2005:सी.जी.एच.सी:2897

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 2761/2004

याचिकाकर्ता – 1. मोहम्मद हसन खान, पुत्र श्री अली अहमद खान, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी बस स्टैंड रोड, बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण – 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव परिवहन विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)

2. राज्य परिवहन प्राधिकरण रायपुर (छ.ग.)
3. राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ
4. राज्य परिवहन प्राधिकरण म.प्र. ग्वालियर
5. म.प्र. राज्य वल्लभ भवन, भोपाल
6. उ.प्र. राज्य द्वारा मुख्य सचिव लखनऊ (उ.प्र.)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226(1) और (2) के अंतर्गत रिट याचिका

1. **याचिकाकर्ता का विवरण**

जैसा कि ऊपर वाद शीर्षक में बताया गया है।

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 2761/2004

मोहम्मद हसन खान

– बनाम –

छत्तीसगढ़ राज्य और पांच अन्य

रिट याचिका क्र. 4858/2004

मोहम्मद हसन खान

– बनाम –

छत्तीसगढ़ राज्य और पांच अन्य

तथा

रिट याचिका क्र. 3794/2004

मेसर्स कांकेर रोडवेज

– बनाम –

छत्तीसगढ़ राज्य और पांच अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश हेतु नियत तिथि– 4 फ़रवरी 2005

सही/–
(एल.सी. भादू)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 2761/2004

मोहम्मद हसन खान

– बनाम –

छत्तीसगढ़ राज्य और पांच अन्य

रिट याचिका संख्या 4858/2004

मोहम्मद हसन खान

– बनाम –

छत्तीसगढ़ राज्य और पांच अन्य

और

रिट याचिका संख्या 3794/2004

मेसर्स कांकेर रोडवेज

– बनाम –

छत्तीसगढ़ राज्य और पांच अन्य

उपस्थित:

श्री बी.के. रावत, अधिवक्ता:	याचिकाकर्ताओं की ओर से।
श्री प्रमोद कुमार वर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता:	राज्य/ उत्तरवादी क्र. 1 और 2 की ओर से।
श्री राजीव श्रीवास्तव, स्थायी अभिभाषक:	उत्तरवादी क्र. 4 और 5 की ओर से तथा हस्तक्षेपकर्ता – म.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से।
श्री पंकज श्रीवास्तव, स्थायी अभिभाषक:	उत्तरवादी क्र.3 और 6 की ओर से।
श्री बी.पी. गुप्ता, अधिवक्ता:	हस्तक्षेपकर्ता की ओर से।

आदेश
(4 फरवरी, 2005 को पारित)

एल.सी. भादू, न्यायाधीश

1. रिट याचिका संख्या 2761/2004 (मोहम्मद हसन खान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और पांच अन्य); रिट याचिका संख्या 4858/2004 (मोहम्मद हसन खान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और पांच अन्य); और रिट याचिका संख्या 3794/2004 (मेसर्स कांकेर रोडवेज बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और पांच अन्य) का निपटारा इस सामान्य आदेश द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि इन सभी याचिकाओं में तथ्य और विधि के समान प्रश्न शामिल हैं।

2. रिट याचिका संख्या 2761/2004 के द्वारा याचिकाकर्ता मोहम्मद हसन खान ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद तीनों राज्यों के बीच मंजिली गाड़ीयां चलाने के लिए पारस्परिक करार को अंतिम रूप देने और मोटर यान अधिनियम, 1988 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 102 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीयकरण योजना में उचित संशोधन के बाद नियमित अंतर–राज्यीय मंजिली गाड़ी परमिट देने के निर्देश देने की प्रार्थना की है, और राज्य परिवहन प्राधिकरण, लखनऊ (यूपी) और राज्य परिवहन प्राधिकरण ग्वालियर (एमपी) को बिलासपुर से इलाहाबाद के मार्ग के संबंध में याचिकाकर्ता के पक्ष में दिए गए अस्थायी परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर करने का निर्देश देने की भी प्रार्थना की है। याचिकाकर्ता को मंजिली गाड़ी संख्या सीजी–04/ई–0273 और सीजी–04/ई–0274 के लिए 1.9.2004 से 28.12.2004 तक की अवधि के लिए अस्थायी परमिट दिए गए थे। उन्होंने 28.12.2004 को पहले के परमिट की समाप्ति पर समान अनुतोष के साथ डब्ल्यू.पी. संख्या 4858/2004 भी दायर किया है, उन्हें 29.12.2004 से 26.4.2005 तक की अवधि के लिए एक और अस्थायी परमिट दिया गया है। मेसर्स कांकेर रोडवेज द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 3794/2004 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को रायपुर से इलाहाबाद तक अंतर–राज्यीय मार्ग के संबंध में पारस्परिक करार को अंतिम रूप देने और राज्य परिवहन प्राधिकरण, लखनऊ और राज्य परिवहन प्राधिकरण, ग्वालियर को याचिकाकर्ता को दिए गए अस्थायी परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. इन रिट याचिकाओं के निपटारे के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य, जैसा कि याचिकाओं में वर्णित है, ये हैं कि तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य ने अधिनियम की धारा 88(5) के तहत बिलासपुर और इलाहाबाद के बीच अंतरराज्यीय मार्ग के निर्माण के लिए पारस्परिक करार किया था और इसे 31 मई, 1994 को प्रकाशित किया गया था। हालाँकि, यह मार्ग पहले के पारस्परिक करार के अनुसार पहले से ही चल रहा था। उक्त अधिसूचना की मद क्रमांक 186 के अनुसार, बिलासपुर से इलाहाबाद वाया शहडोल और रीवा मार्ग पर दो ट्रिप चलाने का प्रावधान किया गया था। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद, 1.11.2000 से मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ का नया राज्य बनाया गया और नए राज्य के निर्माण पर, छत्तीसगढ़ राज्य ने अधिनियम की धारा 102 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य परिवहन उपक्रम की योजना को रद्द करने का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच हुए पारस्परिक करार के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (एम.पी.एस.आर.टी.सी.) और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यू.पी.एस.आर.टी.सी.) की बसें बिलासपुर से इलाहाबाद मार्ग पर योजना के तहत दिए गए परमिट के आधार पर चल रही थीं क्योंकि मार्ग के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र राष्ट्रीयकृत था। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले उपरोक्त मार्ग का क्षेत्र अभी भी राष्ट्रीयकृत योजना के अधीन है और एम.पी.एस.आर.टी.सी. और यू.पी.एस.आर.टी.सी. की बसें चल रही हैं। हालाँकि, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अधिनियम की धारा 102 के तहत योजना को रद्द करने के कारण, छत्तीसगढ़ राज्य में कोई राज्य परिवहन निगम अस्तित्व में नहीं है, और केवल निजी ऑपरेटर राज्य परिवहन प्राधिकरण, रायपुर द्वारा उन्हें दिए गए परमिट के तहत अपनी बसों का संचालन कर रहे हैं। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ राज्य ने एम.पी.एस.आर.टी.सी. और यू.पी.एस.आर.टी.सी. की बसों को

छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया है। याचिकाकर्ता (मोहम्मद हसन खान) ने उक्त मार्ग पर अस्थायी परमिट के लिए आवेदन किया और एसटीए, रायपुर ने याचिकाकर्ता को दो अस्थायी परमिट जारी किये, पहली बार 1.9.2004 से 28.12.2004 तक की अवधि के लिए, उसके बाद 29.12.2004 से 26.4.2005 तक, और उत्तरवादीगण अर्थात् एसटीए, ग्वालियर और एसटीए, लखनऊ उन अस्थायी परमिटों पर प्रतिहस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, जिससे याचिकाकर्ता को वर्तमान रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

4. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ओर से भी जवाब दाखिल किया गया है और उनका जवाब इस आशय से समान था कि चूंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं और एम.पी.एस.आर.टी.सी. और यू.पी.एस.आर.टी.सी. की बसें चल रही हैं, इसलिए राष्ट्रीयकृत मार्ग पर निजी ऑपरेटरों को परमिट नहीं दिया जा सकता है । इसके अलावा, इन मार्गों पर उनके अपने राज्यों के निजी ऑपरेटरों को भी कोई परमिट नहीं दिया जा रहा है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह था कि अधिनियम की धारा 87 और 88 (7) के प्रावधानों के साथ-साथ धारा 104 के परंतुक के तहत, एसटीए, रायपुर अस्थायी परमिट दे सकता है। उनका आगे तर्क यह था कि अधिनियम की धारा 102 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा राष्ट्रीयकृत योजना को रद्द करने के कारण, तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच हुए पारस्परिक करार के अनुसार बिलासपुर से इलाहाबाद तक का मार्ग अभी भी मौजूद है, इसलिए, एसटीए, रायपुर अधिनियम की धारा 104 के परंतुक के तहत अस्थायी परमिट दे सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. दूसरी ओर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मार्ग का क्षेत्र राष्ट्रीयकृत योजना के अंतर्गत आता है और उन राज्यों के संबंधित निगमों की बसें चल रही हैं, इसलिए राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राज्य परिवहन प्राधिकरण, रायपुर किसी भी प्रकार का परमिट जारी करने का हकदार नहीं है। इसी तरह, रायपुर से इलाहाबाद तक के मार्ग की भी यही स्थिति है; चूंकि मार्ग रायपुर से बिलासपुर है, उसके बाद वही बिलासपुर-इलाहाबाद मार्ग, जो डब्ल्यू.पी. संख्या 2761/2004 और 4858/2004 का विषय है, और राष्ट्रीयकृत मार्ग पर निजी ऑपरेटरों को परमिट नहीं दिया जा सकता है, वह भी तब तक जब तक तीनों राज्यों के बीच कोई पारस्परिक करार नहीं हो जाता।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात मैंने तीनों रिट याचिकाओं के अभिलेख का अवलोकन किया है। जहां तक तथ्यात्मक स्थिति का प्रश्न है, कोई विवाद नहीं है, तथा यह स्वीकार किया जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पूर्व, तत्कालीन मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच हुए पारस्परिक करार के अनुसार, एम.पी.एस.आर.टी.सी. एवं यू.पी.एस.आर.टी.सी. की बसें बिलासपुर से इलाहाबाद तथा रायपुर से इलाहाबाद के मार्गों पर चलती थीं। तथापि, समस्या 1.11.2000 से प्रारंभ हुई, अर्थात मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन करके छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पश्चात, तथा नव निर्मित छत्तीसगढ़ राज्य ने अधिनियम की धारा 102 के अंतर्गत राज्य सड़क परिवहन निगम को समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके पश्चात, छत्तीसगढ़ राज्य ने यू.पी.एस.आर.टी.सी. एवं एम.पी.एस.आर.टी.सी. की बसों को बिलासपुर अथवा रायपुर पहुंचने के लिए छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में प्रवेश

करने से रोक दिया। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष निर्धारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या राज्य परिवहन प्राधिकरण, रायपुर, मध्य प्रदेश के माध्यम से इलाहाबाद तक विस्तारित मार्गों पर अस्थायी अंतर्राज्यीय परमिट की आड़ में परमिट जारी करने का हकदार है, जबकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के क्षेत्र में आने वाला मार्ग राष्ट्रीयकृत है और संबंधित निगमों की बसें चल रही हैं, वह भी छत्तीसगढ़ राज्य के साथ उन दोनों राज्यों के बीच किसी भी पारस्परिक करार के बिना।

9. अधिनियम की धारा 87 उपधारा (1) के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) में उल्लिखित चार आकस्मिकताओं में एसटीए द्वारा अस्थायी परमिट जारी करने से संबंधित है। ऐसा प्रतीत होता है कि विचाराधीन परमिट एसटीए, रायपुर द्वारा अधिनियम की धारा 87 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अंतर्गत जारी किए गए थे, जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि किसी विशेष अस्थायी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अस्थायी परमिट जारी किए जा सकते हैं। अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (7) के प्रावधानों में यह परिकल्पना की गई है कि–

> "उपधारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, एक क्षेत्र का क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण धारा 87 के अंतर्गत किसी अन्य क्षेत्र या राज्य में वैध होने के लिए उस अन्य क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या उस अन्य राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण की सहमति से, जैसा भी मामला हो, सामान्य रूप से या किसी विशेष अवसर के लिए, अस्थायी परमिट जारी कर सकता है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इसलिए, एसटीए द्वारा उस मार्ग पर अस्थायी परमिट भी दिया जा सकता है जहां अधिनियम की धारा 87 के प्रावधानों पर विचार करते हुए नियमित परमिट दिए जाते हैं, निश्चित रूप से, उस दूसरे राज्य के एसटीए द्वारा सामान्य रूप से या विशेष अवसर के लिए दी गई सहमति के अधीन जिसके लिए अस्थायी परमिट दिया जा रहा है। अधिनियम की धारा 88 की उप–धारा (5) और (6) दो या दो से अधिक राज्यों द्वारा उन राज्यों द्वारा बसों को चलाने के लिए पारस्परिक करार में प्रवेश करने और आधिकारिक राजपत्र में उसी योजना के प्रकाशन के लिए करार से संबंधित है। ये धाराएं अध्याय–V के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा, अध्याय–VI 'राज्य परिवहन उपक्रमों से संबंधित विशेष प्रावधानों' से संबंधित है। अधिनियम की धारा 99 'राज्य परिवहन उपक्रम की सड़क परिवहन सेवा के संबंध में प्रस्ताव तैयार करना और प्रकाशन' से संबंधित है। अधिनियम की धारा 100 'प्रस्ताव पर आपत्ति' और योजना के प्रकाशन से संबंधित है। अधिनियम की धारा 101 'कुछ परिस्थितियों में राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा अतिरिक्त सेवाओं के संचालन' से संबंधित है। अधिनियम की धारा 102 'योजना को रद्द या संशोधित करने' से संबंधित है। अधिनियम की धारा 103 'राज्य परिवहन उपक्रमों को परमिट जारी करने' से संबंधित है। अधिनियम की धारा 104 'अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग के संबंध में परमिट देने पर प्रतिबंध' से संबंधित है, जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि–

> "जहां किसी अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग के संबंध में धारा 100 की उप–धारा (3) के तहत कोई योजना प्रकाशित की गई है, वहां राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, योजना के प्रावधानों के अनुसार ही कोई परमिट जारी करेगा।"

हालांकि, अधिनियम की धारा 104 के प्रावधान में यह परिकल्पना की गई है कि–

> "जहां किसी अनुमोदित योजना के अनुसरण में किसी अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग के संबंध में राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा परमिट के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है, वहां राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, ऐसे अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग के संबंध में किसी व्यक्ति को अस्थायी परमिट प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि ऐसा परमिट उस क्षेत्र या मार्ग के संबंध में राज्य परिवहन उपक्रम को परमिट जारी किए जाने पर प्रभावी नहीं रहेगा"।

10. इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मेसर्स आदर्श ट्रैवल्स बस सर्विस एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य** के मामले में, जो **एआईआर 1986 सर्वोच्च न्यायालय 319** में प्रकाशित किया गया था, में अभिनिर्धारित था कि जहां मार्ग राष्ट्रीयकृत है और योजना निजी ऑपरेटरों को मार्ग पर स्टेज कैरिज चलाने से पूरी तरह प्रतिबंधित करती है, निजी ऑपरेटर अपनी बसें चलाने के हकदार नहीं हैं और कोई परमिट नहीं दिया जा सकता है। यहां तक कि राष्ट्रीयकृत मार्ग को अतिव्याप्त करने वाले मार्ग पर किसी निजी ऑपरेटर को परमिट भी नहीं दिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने **कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम अशरफुल्ला खान एवं अन्य** के मामले में, जो **(2002) 2 सर्वोच्च न्यायालय केस 560** में रिपोर्ट किया गया था, इसी तरह का विचार लिया था जिसमें यह अभिनिर्धारित गया था कि मार्ग को राष्ट्रीयकृत करने वाली प्रकाशित योजना एक कानून है, जिसे जनहित में परिरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए। किसी गैर–अधिसूचित मार्ग के लिए परमिट नहीं दिया जा सकता, जो अधिसूचित मार्ग या अधिसूचित मार्ग के किसी भाग को अतिव्यापित करता हो।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. यह स्वीकार्य स्थिति है कि बिलासपुर से इलाहाबाद और रायपुर से इलाहाबाद तक का मार्ग का वह भाग, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, राष्ट्रीयकृत है। अधिनियम की धारा 98 में यह परिकल्पना की गई है कि "इस अध्याय के प्रावधान और उसके अधीन बनाए गए नियम और आदेश अध्याय V में या किसी अन्य कानून में या किसी ऐसे कानून के आधार पर प्रभावी किसी साधन में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे।" इसलिए, अधिनियम की धारा 98 के प्रावधानों के अनुसार, जो अध्याय–VI (राज्य परिवहन उपक्रमों से संबंधित विशेष प्रावधान) के अंतर्गत आता है, इसका अधिनियम के अध्याय V की धारा 87 और 88 पर अधिभावी प्रभाव है। इन परिस्थितियों में, राष्ट्रीयकृत मार्ग/अधिसूचित मार्ग पर, राज्य परिवहन प्राधिकरण, रायपुर को अधिनियम की धारा 87 या धारा 88 (7) के तहत राष्ट्रीयकृत मार्ग के क्षेत्र के लिए निजी ऑपरेटरों को अस्थायी परमिट देने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

12. अब याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क पर आते हैं कि अधिनियम की धारा 104 के परंतुक के अनुसार बिलासपुर से इलाहाबाद और रायपुर से इलाहाबाद मार्ग पर रिक्त स्थान होने तक राज्य परिवहन प्राधिकरण, रायपुर याचिकाकर्ताओं को अस्थायी परमिट जारी करने के लिए अधिकृत है, अधिनियम की धारा 104 के परंतुक को देखते हुए, तर्क प्रथम दृष्टया विश्वास करने योग्य प्रतीत होता है। लेकिन, यदि इस आदेश के पहले भाग में संदर्भित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार गुण–दोष के आधार पर इसकी जांच की जाए, तो यह इस कारण से गुण–दोष से रहित है कि

अधिनियम की धारा 104 के परंतुक के अनुसार अस्थायी परमिट केवल उन परिस्थितियों में ही दिए जा सकते हैं, जब राज्य परिवहन उपक्रम ने उस मार्ग पर परमिट देने के लिए कोई आवेदन नहीं किया हो। यहां परिस्थितियां पूरी तरह से अलग हैं। जैसा कि इस आदेश के पहले भाग में उल्लेख किया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने से पहले और यू.पी.एस.आर.टी.सी. कार्यरत थे, और एम.पी. पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने और छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने के बाद, छत्तीसगढ़ राज्य ने अधिनियम की धारा 102 के तहत योजना को समाप्त कर दिया है अर्थात् अधिसूचित मार्ग नहीं है अर्थात् रायपुर से शुरू होकर मध्य प्रदेश राज्य में प्रवेश करने वाला मार्ग और बिलासपुर से शुरू होकर मध्य प्रदेश राज्य में प्रवेश करने वाला मार्ग गैर–अधिसूचित है। इसलिए, आवश्यक निहितार्थ से, छत्तीसगढ़ राज्य ने मार्ग को गैर–अधिसूचित करके उसी तरह पारस्परिक करार को रद्द कर दिया है जहां तक वह छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्र से संबंधित है। परिस्थितियों में, जब तक और जब तक, पहले उदाहरण में सभी तीन राज्य पारस्परिक करार में प्रवेश नहीं करते हैं, एसटीए, रायपुर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के लिए एकतरफा परमिट देने का हकदार नहीं है।

13. बहस के दौरान भी उत्तरवादीगण अर्थात् मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के विद्वान अधिवक्ताओं ने दलील दी कि उनके उपक्रम छत्तीसगढ़ राज्य की अनुमति के अधीन उसी मार्ग पर अपनी बसें चलाने के लिए तैयार हैं, जिसकी अनुमति वे नहीं दे रहे हैं। इसलिए, यह स्थिति छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा ही बनाई गई है और मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अधिनियम की धारा 104 का परंतुक इस मामले में लागू नहीं होता है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां राज्य सड़क परिवहन निगम/उपक्रम परमिट के लिए कोई आवेदन नहीं कर रहा है। परमिट पहले से ही एम.पी.एस.आर.टी.सी. और यू.पी.एस.आर.टी.सी. के पास था, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्र के संबंध में मार्ग को गैर–अधिसूचित करने के कारण, छत्तीसगढ़ राज्य एम.पी.एस.आर.टी.सी. और यू.पी.एस.आर.टी.सी. को अपनी बसें चलाने की अनुमति नहीं दे रहा है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. इस स्थिति में चूंकि मार्ग का क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आता है, अतः अधिनियम की धारा 104 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण, रायपुर को इस मार्ग पर अस्थायी परमिट भी जारी करने का अधिकार नहीं है, तथा अधिसूचित मार्ग को देखते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण, लखनऊ और राज्य परिवहन प्राधिकरण, ग्वालियर को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जारी अस्थायी परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है । इसके अलावा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जारी अस्थायी परमिट वास्तव में अस्थायी परमिट के रूप में नियमित परमिट हैं, जिन पर टिप्पणी किए बिना मैं उन्हें उचित मामले में भविष्य के निर्णय के लिए खुला छोड़ रहा हूँ।

15. अब, बिलासपुर से इलाहाबाद और रायपुर से इलाहाबाद तक मार्ग बनाने के लिए पारस्परिक करार करने के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को निर्देश जारी करने के प्रश्न पर आते हैं, उत्तरदाताओं/राज्यों को इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा राज्य उपक्रम की बसों का संचालन न करने का नीतिगत निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। सार्वजनिक योजना के तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को अधिसूचित मार्ग माना जाता है और संबंधित राज्यों को आम जनता और यात्रियों की ज़रूरत और सुविधा पर विचार करके जनता के आधार, स्थिति और मांग को देखते हुए उचित निर्णय लेना होता है। विशेष रूप से, ऐसे

निर्देश किसी ट्रांसपोर्टर के अनुरोध पर जारी नहीं किए जा सकते हैं जो खुद परमिट मांग रहा है क्योंकि वह खुद परमिट के संबंध में इच्छुक व्यक्ति है।

16. इसलिए, परिणामस्वरूप, रिट याचिकाओं में कोई सार नहीं है, और वे खारिज किए जाने योग्य हैं। तदनुसार, रिट याचिकाएँ खारिज की जाती हैं। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नही।

सही/–
(एल.सी. भादू)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By – Zarrinaz Ansari